नकली ISI मार्क स्टील उत्पाद जब्त

BIS ने की कार्रवाई

व्यापार प्रतिनिधि

नागपुर. आईएसआई स्टैंडर्ड मार्क की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ दुरुपयोग के उदाहरण भी पाए गए हैं. खबरों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो की स्थानीय शाखा के अधिकारियों ने उज्ज्वल इस्पात प्राइवेट लि., एमआईडीसी हिंगना रोड परिसर में छापा मारा. कार्रवाई दौरान पता चला कि कम्पनी के पास किसी भी स्टील उत्पाद के लिए बीआईएस लाइसेंस न होने के बावजूद स्टील टीएमटी बार पर आईएसआई मार्क का इस्तेमाल किया जाता है. जांच में पता चला कि कम्पनी में मशीन से नकली आईएसआई स्टील टीएमटी बार का उत्पादन किया किया जाता है.

■ यह दीवारों और इमारतों के ढहने जैसी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है. कारखाने में प्रकाश 500 ब्रांड नाम वाली नकली आईएसआई चिह्नित स्टील टीएमटी भी जब्त किए गए.

■ यह भारतीय मानक ब्यूरो 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है. भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 1986 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क का दुरुपयोग पाए जाने पर जुर्माना या दंड दिया जा सकता है.

100 उत्पादों का प्रमाणन अनिवार्य

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से 110 उत्पादों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य किया गया है, इनमें एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी वाल्व, दूध के विभिन्न उत्पाद, बिजली के तार, पेयजल, इस्पात उत्पाद, सीमेंट आदि आते हैं. सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत इन उत्पादों क बिना बीआईएस लाइसेंस के देश में उत्पादन और बिक्री नहीं की जा सकती. इसी तरह स्टील टीएमटी बार निर्माता के पास रासायनिक और यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को मानकों के अनुसार गुणवत्ता के उत्पाद ही प्राप्त हों. कई बार देखा गया है कि नकली आईएसआई चिह्नित उत्पादों का निर्माण कर भारी मुनाफे के लिए आम उपभोक्ताओं को बेचा जाता है. ब्यूरो की ओर से कहा गया है कि ग्राहकों को खरीदी से पहले भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर उत्पादों के आईएसआई मार्क की असलियत का पता लगा लेना चाहिए.

नागपुर नवभारत प्लस

नागपुर, मंगलवार 7 फरवरी, 2017 ■ तापमान : 33.5 / 15.3 डि.से.

नकली ISI मार्क स्टील उत्पाद जब्त

BIS ने की कार्रवाई

व्यापार प्रतिनिधि

नागपुर. आईएसआई स्टैंडर्ड मार्क की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ दुरुपयोग के उदाहरण भी पाए गए हैं. खबरों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो की स्थानीय शाखा के अधिकारियों ने उज्ज्वल इस्पात प्राइवेट लि., एमआईडीसी हिंगना रोड परिसर में छापा मारा. कार्रवाई दौरान पता चला कि कम्पनी के पास किसी भी स्टील उत्पाद के लिए बीआईएस लाइसेंस न होने के बावजूद स्टील टीएमटी बार पर आईएसआई मार्क का इस्तेमाल किया जाता है. जांच में पता चला कि कम्पनी में मशीन से नकली आईएसआई स्टील टीएमटी बार का उत्पादन किया किया जाता है.

■ यह दीवारों और इमारतों के ढहने जैसी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है. कारखाने में प्रकाश 500 ब्रांड नाम वाली नकली आईएसआई चिह्नित स्टील टीएमटी भी जब्त किए गए.

■ यह भारतीय मानक ब्यूरो 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है. भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 1986 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क का दुरुपयोग पाए जाने पर जुर्माना या दंड दिया जा सकता है.

100 उत्पादों का प्रमाणन अनिवार्य

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से 110 उत्पादों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य किया गया है, इनमें एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी वाल्व, दूध के विभिन्न उत्पाद, बिजली के तार, पेयजल, इस्पात उत्पाद, सीमेंट आदि आते हैं. सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत इन उत्पादों क बिना बीआईएस लाइसेंस के देश में उत्पादन और बिक्री नहीं की जा सकती. इसी तरह स्टील टीएमटी बार निर्माता के पास रासायनिक और यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को मानकों के अनुसार गुणवत्ता के उत्पाद ही प्राप्त हों. कई बार देखा गया है कि नकली आईएसआई चिह्नित उत्पादों का निर्माण कर भारी मुनाफे के लिए आम उपभोक्ताओं को बेचा जाता है. ब्यूरो की ओर से कहा गया है कि ग्राहकों को खरीदी से पहले भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर उत्पादों के आईएसआई मार्क की असलियत का पता लगा लेना चाहिए.